तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi
Website : www.kvsangathan.nic.in
E-mail : jcp.kvs@gmail.com / दूरभाष / Tel. : 91-11-26858565

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

फा°11029-3/2018-केवीएस(प्रशासन.I)Vol–II/1404 दिनांक 05.03.2021

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक **08.03.2019** के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत **50** नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। **केन्द्रीय विद्यालय सदलगा, जिला- बेलगावी, कर्नाटक (संसदीय क्षेत्र – चिकोड़ी)** उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है :-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	सदलगा, जिला- बेलगावी, (कर्नाटक)	केन्द्रीय विद्यालय, सदलगा कुवेम्पु सेंटीनेरी मॉडल स्कूल कैम्पस सदलगा, तालुक : चिकोड़ी, जिला-बेलगावी, कर्नाटक– 591239

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र **2021-22** के दौरान प्रारम्भ में कक्षा **1** से **5** तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित प्रवेश समय सारणी के अनुरूप पूरी कर ली जाए।

(डॉ . वी. विजयलक्ष्मी)
अपर आयुक्त (शैक्षिक/प्रशा.)

वितरण:
1. माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.
3. संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा-1) शिक्षा मंत्रालय. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै°) केविसं के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण°) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।

7. उपायुक्त, केविसं क्षे .का. बेंगलूरु को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के .वि .को संचालित करें।
8. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा), कर्नाटक सरकार ।
9. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला बेलगावी, कर्नाटक को जानकारी के लिए सूचनार्थ
10. अधीक्षण अभियंता केविसं को उनके नोट संख्या एफ़ 110111/428/2019-केविस (मु)/कार्य दिनांक 04.02.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
11. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
12. सहायक आयुक्त (स्था. I/ स्था. II & III) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ की तैनाती करें।
13. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
14. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
15. निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
16. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
17. अध्यक्ष/सचिव के.वि.सं मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
18. गार्ड फ़ाइल।

*****

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi
Website : www.kvsangathan.nic.in
E-mail : jcp.kvs@gmail.com / दूरभाष / Tel. : 91-11-26858565
तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

फा.11073-(पी)/2018-केविसं/प्रशा-1 | 1403 दिनांक: 05.03.2020

आदेश

माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 से **आईआईटी, रोपड़, पंजाब (संसदीय क्षेत्र- आनंदपुर साहिब) के परिसर में उच्च शिक्षण संस्थान क्षेत्र (IHL Sector) के अधीन** एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में इस नए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 01 से 05 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सैक्शन) खोलने और भविष्य में साध्यता के आधार पर विद्यालय में अन्य कक्षाओं/सेक्शनों में वृद्धि की जा सकेगी। प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात **आईआईटी, रोपड़, पंजाब** निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
2. केन्द्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था।
3. 15% प्रशासनिक ऊपरी खर्च एवं भावी विकास के खर्च सहित समस्त आवर्ती और अनावर्ती खर्च।

भविष्य में प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ती और अनावर्ती खर्च संबंधी बजट राशि को उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रिम किश्त के रूप में जमा करवाएंगे। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पहली किश्त अप्रैल महीने में दूसरी किश्त अक्तूबर महीने में जमा की जाएगी।

प्रायोजक प्राधिकरण यदि अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं/सेक्शनों की संख्या को कम करने के लिए आयुक्त, केविसं प्राधिकृत होंगे तथा वे प्रायोजक को विधिवत नोटिस देकर केन्द्रीय विद्यालय को बंद करने का निदेश भी दे सकते हैं।

इस केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और नियमों के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित प्रवेश समय सारणी के अनुरूप पूरी कर ली जाए।

वि. विजयलक्ष्मी 5/3/2020
(डॉ. वि. विजयालक्ष्मी)
अपर आयुक्त (शैक्षिक/ प्रशा.)

वितरण:-

1. माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
3. संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा-1) शिक्षा मंत्रालय. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।

4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै०) केविसं के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण०) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)/(प्रशा.)/(कार्मिक), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. रजिस्ट्रार, आईआईटी, रोपड़, पंजाब।
10. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
11. उपायुक्त, ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, केंद्रीय विद्यालय संगठन को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सभी जीट ग्वालियर, मुंबई/मैसूर/चंडीगढ़/भुवनेश्वर।
14. सभी अधिकारी/अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली।
15. अध्यक्ष/सचिव के.वि.सं मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
16. गार्ड फ़ाइल।